राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
क्रमांक : A9(P)317
दिनांक : 29/11/2017
कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के
अनुसार में मण्डल स्तर से कार्यालय आदेश क्रमांक—वसूली/2016-17/71/18
दिनांक—18.4.2017, वसूली/2017-18/71/197 दिनांक—17.7.2017 एवं वसूली/2017
-18/71/228 दिनांक—14.8.2017 द्वारा प्रसारित उक्त आदेश की अक्षरण: अनुपालना की
दृष्टि से पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मण्डल द्वारा दिनांक 1.1.2001 के पश्चात आविष्कृत
EWS/LIG के आवासों में मासिक किस्तें एवं अन्य बकाया राशि दिनांक 31.12.2017 तक
एकमुखत जमा कराई जाने पर ही व्याज एवं पेनल्टी में शास्त्र-प्रतिशत छूट देय होगी।

आवंटी द्वारा निधारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर आवासन मण्डल द्वारा
कब्जा लिया जाकर नीलामी के जरिए निवेशता किया जायेगा।

यह आदेश पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक—निस/विस/2017/311 दिनांक 27.11.
2017 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

(डॉ. कुंज विहारी गुप्ता)
आदेश आयुक्त

प्रतिलिप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —
1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. शचिव, मुख्य सम्पदा प्रबंधक, उप सचिव, निदेशक विभिन्न, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
   राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता—प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. लागत शाखा, मुख्तार शाखा, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सम्बन्धित /रक्षित प्रशासनी।

(आरती वागोपेतिया)
वरिष्ठ सलाहकार